क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी

Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph: 01493-221435

क्रमांक :–राप्रनिम / भिवाडी / लेखा / 2023 / दिनांकः–

सीमित बोली सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा निम्न सेवाये उपलब्ध कराने हेतु बोनाफाईड आपूर्तिकर्ता / अधिकृत संस्था / प्लेसमेंट एजेन्सी से द्वि–प्रक्रमी बोली (तकनीकी व वित्तीय) निम्नानुसार आमन्त्रित की जाती है।

कमा स.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	अमानत राशि	बोली प्रपत्र शुल्क (रू. में)	बोली प्रपत्र विक्रय की अन्तिम तिथी व समय	बोली प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र खोलने की तिथी व समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) उपलब्ध कराने हेतु (कुल संख्या 01)	1.98	3960/-	500	21-06-2023 सांय 5.00 बजे तक	22-06-2023 को दोपहर 11.00 बजे तक	22-06-2023 को दोपहर 12.00 बजे

1. बोली प्रपत्र एवं अन्य सम्बन्धित विवरण निर्धारित शुल्क जमा कराकर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।
2. बोली प्रपत्र एवं अन्य सम्बन्धित विवरण www.sppp.rajasthan.gov.inपर भी देखा एवं डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है ,डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा शुल्क की राशि 500 / – एंव अमानत राशि का डीडी क्षेत्रिय अधिकारी राजस्थान प्रदूपण नियन्त्रण मण्डल भिवाडी के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. UBN NO. PCB2324SSLB00020

Sd/-
(अमित शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांकः–राप्रनिम / भिवाडी / लेखा / 2023 / 1823-1824 दिनांक 13.06.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

- प्रभारी अधिकारी, आईटी शाखा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा को सम्बन्धित वेब साईटो पर आज ही अपलोड करवाने का श्रम करावे।
- नोटिस बोर्ड कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी।

(अमित शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph: 01493-221435

निविदा संख्या–05 / 2023

Annexure I

–: तकनीकी बोली प्रपत्र :–
(लिफाफा न0 1)

कार्य का नाम –प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant)उपलब्ध कराने हेत (कुल संख्या 01)

- संदर्भ : क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी की बोली सूचना
  संख्या – दिनांक ....
- बोलीदाता / संवेदक का नाम :– ....
- डाक का पता :–...
  ....
- फोन / मोबाईल नं. :–..
- ई–मेल :–..
- बैंक का नाम :–..
  आईएफएससी कोड :–..
  खाता संख्या :–..
- किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी
- बोली शुल्क रूपये : (1) 500 / – रू (पाँच सौ मात्र)
- रसीद नम्बर / डीडी संख्या.................................दि.
  बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं,तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
- प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) उपलब्ध कराने हेतु कार्य दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।
- संलग्न प्राईस शिड्यूल मे वर्णित दरे बोली स्वीकृति दिनांक से 31.03.2024 तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।
- बोली अमानत राशि हेतु राशि 3960 / – का डीडी संख्या......................बैंक..................................दिनांक.................... संलग्न है।
- बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न करनी होगी:–

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph: 01493-221435

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविश्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	ब्लैक लिस्ट नही किये जाने का शपथ पत्र (फर्म के लैटरपैड पर)				
8	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायांप्रति				
9	पूर्व अनुभव/योग्यता प्रमाण पत्र				

. मै/हम क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी द्वारा जारी की गई सीमित बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक.............. दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त बोली आंमत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

. संवेदक /बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम ....
मोबाईल न. –

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी

Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph: 01493-221435

निविदा संख्या–05/2023

Annexure-II

प्राईस–शिड्यूल (वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)

कार्य का नाम –प्रयेागशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant)उपलब्ध कराने हेत (कुल संख्या 01)

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रयेागशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant)उपलब्ध करानेहेतु	उच्च कुशल (01)	**8658/-**		**13.00** (नियोक्ता)	**3.25** (नियोक्ता)		

1 उपर्युक्त तालिका मे स्तम्भ संख्या 1 –4, 6 व 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।

2 संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

3 कालम संख्या 8 में देय राशि न्यूनतम 01(एक) रूपये से कम नही भरी जावे। राशि शून्य एंव त्रृणात्मक या एक रूपये से कम अंकित होने पर निविदा को अस्वीकृत कर दिया जावेगा। राशि पूर्णांक में ही भरी जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम–

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाड़ी (अलवर)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph. 01493-221435

General Trems& Conditions of Bid & Contract:-

कार्य का नाम –प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) उपलब्ध कराने हेत (कुल संख्या 01)

Important Instructions :- The law relating to procurement " The rajasthan transparency in public procurement act, 2012" {hereinfafter called the act} and the rajasthan transparency in public procurement rules, 2013" {hereinfafter called the rules} under the said act have come into force which are available on the website of state public procurement portal http://sppp.raj.nic.in. Therfore, the bidders are advised to acquaint themselves will the provisions of the act and the rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the procision of the act and the reles and this bidding document, the provision of the act and the rules shall prevail

1- बोलीदाता को बोलियॉ पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफा जिस पर "प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी बोली अंकित हो मय बोली अमानत **राशि 3960/– का डीडी क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूपण नियन्त्रण मण्डल, भिवाडी** के नाम देय बोली के साथ आवश्यक है। तकनीकी बोली में वर्णित दस्तावेज, जिसमें वर्णित समस्त शर्तो के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हों, होंने चाहिए। द्वितिय लिफाफा जिस पर "प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय बोली अंकित हो मे प्राईस शिड्यूल में दरें अंकित कर प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी एवं वित्तीय बोलियो के लिफाफे एक बडे लिफाफे में बन्द कर लिफाफे पर "प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक उपलब्ध कराने हेतु" अंकित कर प्रस्तुत करने होंगे।

2. बोलीदाता को इस बोली आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure 1,11 अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
3. तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
4. कार्य के समय लागू जी0एस0टी0 की दरे मान्य होगी।
5. बोलीयां उचित रूप से मोहर बंद लिफाफे में प्रेषित की जायेगी। तकनीकी बोली के लिफाफे में बोली अमानत राशि हेतु,, तकनीकी बोली प्रपत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 13 में 1 से 8 तक के प्रमाण पत्र बैक खाता विवरण एवं ,बोली प्रपत्र एंव शर्तें मय हस्ताक्षरित रखी जावेगी।
6. बोलीदाता को अपने बैंक खाते का विवरण मय बैंक का नाम ,ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड एंव बैंक खाता संख्या संलग्न करना होगा।
7. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी को अविलम्ब संसूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन से संविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।
8. संविदा के संबंध में नई फर्म के तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नही किया जायेगा/किये जावेगां जब तक की वह/वे समस्त निबन्धों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हों और क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल बोलीदाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आबद्ध होगें और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
9. बोली प्रपत्र स्याही से या टंकण से भरे जावेंगे। पैन्सिल से भरी किसी भी बोली पर विचार नही किया जावेगा। बोलीदाता प्रपत्र एवं शर्तों अथवा अन्य संबंधी दस्तावेजो के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करेगा और मोहर अंकित करेगा, जो उसकी शर्तें स्वीकार करने का प्रमाण होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी.
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी

Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph: 01493-221435

10. दरे अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित की जावेगी। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या उपरिलेखन नही किया जावेगा। ऐसा कोई है तो बोलीदाता को इस पर अपने लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगं अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।
11. दरें बोली स्वीकृती की दिनांक से 31.03.2024 के लिए वैध एवं मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा। कार्मिकों की संख्या में कमी/वृद्वि की जा सकेगी।
12. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एंव इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
13. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्श 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
14. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
15. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुश्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भगुतान किया जायेगा।
16. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
17. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
18. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
19. न्यूनतम निविदादरें एक से अधिक निविदा दाताओं की समान प्राप्त होने की स्थिति में न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व किये गये कार्यों का अनुभव और उसके पेंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा। क्षेत्रिय कार्यालय की उपापन समिति स्वविवेक से परीक्षण कर इस कार्य हेतु पात्र संस्थाऐं कार्य करने की क्षमता, वार्षिक टर्नओवर, स्थानीय परिस्थितियों कार्य अनुभव आदि को मददेनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर किसी भी न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृति का निर्णय लेने के लिये स्वतन्त्र होगी। इस संबंध में कोई वाद विवाद स्वीकार नहीं होगा और न ही कार्यालय की उपापन समिति अन्य निविदादाताओं को इस कम में कोई स्पष्टीकरण देने के लिये बाध्य नहीं होगी।
20. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
21. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकां को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/ बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एंव सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph: 01493-221435

22. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
23. यदि संवेदक/बोलीदाता एंव कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निश्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
24. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
25. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई. एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
26. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आव यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debarकराने की कार्यवाही की जायेगी।
27. खुली बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति कार्मिक स्थिति के क्रम में अति महत्पूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में वैज्ञानिक सहायक उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
28. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी,
29. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
30. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।
31. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 07 दिवस में प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक उपलब्ध करवायेगा।
32. मूल्यांकन की कसौटी– खुली बोली में सफल / क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।
33. बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
34. **भुगतानः–**

    (i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
35. बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी से सम्पर्क किया जा सकता है।

मै/हम क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा जारी की गई प्रतियोगी बोली सूचना........................... दिनांक................. में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रो (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमे उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त बोली सूचना की समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे द्वारा बिड के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता की जॉच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी

Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph: 01493-221435

कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सही है। यदि बिड प्रक्रिया या बिड प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता असिद्व होती है तो इसके लिए मै/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा/रहेगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्व कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

उपरोक्त शर्ते मेरे द्वारा पढ़ ली गई है जो मुझे स्वीकार है।

क्षेत्रिय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाड़ी (अलवर)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph: 01493-221435

प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक का विवरण, जॉब/कार्य एवं विशिष्ट शर्ते

1. **वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant)** के अपेक्षित कार्यः–
परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के कुशल संचालन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के साथ–साथ मण्डल द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले विभिन्न कार्यो का समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करना।
2. वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर (विज्ञान) (Enviornment, Chemistry,Soil science, Microbiology, Biotechnology) परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है तथापि राज्य मण्डल के सेवानिवृत कार्मिक जिनकों प्रयोगशाला में अधिकारी के रूप में कार्य करने का उचित अनुभव है एवं विज्ञान में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है वे भी उक्त पद के लिए योग्य है।
3. प्रयोगशाला प्रभारी/ वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय–समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का ठेकेदार/संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।
4. क्षैत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा की अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति मे नोटिस देकर अनुबन्ध का समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबन्धता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नही कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजो मे कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रदद् करने एवं उसके द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि को जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूशण नियन्त्रण मण्डल, भिवाडी को होगा।
6. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नही होगी।
7. निविदा की दरे मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है मूल निविदा प्रपत्र के अभाव मे निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।
8. अनुबन्ध की अवधि 31.03.2024 तक होगी जिसे पारस्परिक सहमति एंव कार्य सन्तोपप्रद होने पर बढाया जा सकेगा।
9. प्रबोधन कार्य संचालन (Handing of Monitoring Work) सम्पादन हेतु मशीन उपस्कर/उपकरण रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of Equipment supply of Absorbing Solution Filter Paper) आदि मण्डल प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे । आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत सर्विस (Servicing and repairing) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant)/कर्मी की कर्तव्य निश्ठा सुचारू रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन के रूकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा । यदि ठेकेदार या उसके वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मकों, फिल्टर पेपर, आकडा प्रतिवेदन, आंकडा संग्रहण आदि को क्षति पहुचाने या दुरूपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने मे किये गये व्यय को धरोहर राशि/उसे देय भुगतान मे से वसूल कर सकेगा ।
10. ठेकेदार को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एवं एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पर्जीकृत होना आवश्यक है । आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
11. कार्यो के विवरण मे दिये गये कार्यो को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप मे अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप मे उत्तरदायी नही होगा ।
12. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमो के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
13. ठेकेदार प्रतिमाह वैज्ञानिक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अन्य प्रयोगशाला अधिकारी से मासिक बिल प्रमाणित करायेगा । मण्डल द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जायेगा।
14. ठेके की शर्तो का उल्लघंन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा अमानत राशि जब्त कर ली

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी

Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph: 01493-221435

जायेगी।

15. ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षैत्रीय अधिकारी, भिवाडी का निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तेः

16. इस निविदा के तहत कार्य निंशपादन हेतु ठेकेदार/संस्था निर्धारित योग्यताधारी श्रमिको को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित श्रमिको को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नही करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नही किया जाता है तो इस हेतु ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा ।
17. ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये वैज्ञानिक सहायको की आयु 18 वर्श से कम नही होगी।।किसी भी परिस्थिति में बाल श्रम का नियोजन नही किया जावेंगा
18. ठेकेदार/संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
19. ठेकेदार/संस्था को राज्य मण्डल के क्षेत्रिय/वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
20. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant)/कर्मी के संबंध मे विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानुनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा । राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिये किसी भी रूप मे उत्तरदायी नही होगा।
21. प्रभावी श्रम एवं अन्य समिबन्धत कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं बीमा (ESI) और जीएसटी आदि की राशि जमा करवाने एवं अन्य वित्तिय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होगें इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान क्षैत्रीय कार्यालय द्वारा नही किया जावेगा।
22. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का अल्लघंन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है
23. ठेकेदार/संस्था नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक सम्बन्धी विवाद मे दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नही होगा ।
24. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे औद्यौगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु ठेकेदार/संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा । इस सम्बन्ध में यदि क्षैत्रीय कार्यालय को कोई राशि व्यय करनी पडी तो वह ठेकेदार/संस्थाके लम्बित भुगतान या अमानत राशि से वसूल की जायेगी।
25. यदि अनुबंध के सम्बन्धित कार्यो के सम्पादन मे किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तो/कार्यालय में भाास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यो में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षैत्रीय अधिकारी द्वारा द्वारा आरोपित की जा सकेगी ।
26. ठेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवंशास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा अमानत राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
27. उक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमो की शर्ते व नियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होगा।
28. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निश्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध मे कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय मे उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय मे लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नही हो।
29. यह की मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोंई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी

Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph: 01493-221435

30. मण्डल द्वारा कराये जाने वाला कार्य विशिष्ठ प्रकृति का होने केकारण निविदादाता को कार्य सम्पादन हेतु राज्य प्रदूषण मण्डल के राजस्थान स्थित किसी भी कार्यालय में अथवा सरकारी या अर्धसरकारी कार्यालय में उक्त कार्य का अनुभव वाली एजेन्सी को अन्य चीजें सही होने पर प्राथमिकता दी जा सकती है।

, दिनांकः–

क्षेत्रिय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भिवाड़ी (अलवर)

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph: 01493-221435

निविदादाता द्वारा धोपणा पत्र

मै/हम धोपणा करते हैं कि मैनै/हमने बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते हैंकि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है एंव वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसायकिया जाता है। वाछिंत मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा RTPPअधिनियम की धारा 46 एंव RTPP नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (debarred) नहीं हैं।

यदि यह धोपणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति या अन्य जमा राशि को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद कर दिया जाऐ।

निविदादाता के हस्ताक्षर एंव मोहर

नाम

पूर्ण पता

मो.नम्बर

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भिवाड़ी (अलवर)